संख्या- **978**/2024/2887/41-1-2024- सी0एन0-1749225/2023

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक **13** दिसम्बर, 2024

विषय:-जनपद मथुरा एवं वृन्दावन के बीच प्रेक्षागृह/आडिटोरियमके निर्माण कार्य हेतु पुन: पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-8110/6-1-1/ब्र0ती0वि0प0 (82)/2020, दिनांक 24-01-2024एवं पत्र सं0-6639/6-1-1/ब्र0ती0वि0प0 (82)/2024, दिनांक 19-11-2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद मथुरा एवं वृन्दावन के बीच प्रेक्षागृह/आडिटोरियम के निर्माण कार्य की प्रायोजना का पुन: पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृतिप्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया।

2- अवगतकराना है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	**शासनादेश संख्या व दिनांक**	**प्रशासकीय स्वीकृति**	**अवमुक्त धनराशि**
1	सं0-39/2016/वीआईपी-01/चार-2016-226(वि0)/2012 टीसी,दिनांक 24.02.2016	रू0 2314.27	रू0 500.00
2	सं0-20/2017/2465/चार/2016-226-226(वि0)/2012 टीसी,दिनांक 08.03.2017		रू0 50.00
3	सं0-306/2021/4222/41-2020-160(बजट)/2019, दिनांक 31.03.2021	रू0 3250.45 (संशोधित प्रशाकीय स्वीकृति)	रू0 800.00
4	सं0-622/2022/5401/41-2022-160-Budget-2019, दिनांक 23.12.2022		रू0 800.00
5	सं0-269/2023/1597/001-160-Budget-2019, दिनांक 28.03.2023		रू0 700.00
		कुल धनराशि	**रू0 2850.00**

3- प्रश्नगत परियोजना हेतु उपलब्ध कराये गये पुन: पुनरीक्षित आगणन हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 4215.60 लाख (जी0एस0टी0 सहित) में प्रस्तावित उच्च विशिष्टियों के कार्यों की लागत

रू0 27233925.72 (रू0 दो करोड़ बहत्तर लाख तैंतीस हजार नौ सौ पच्चीस एवं बहत्तर पैसे मात्र) पर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति (सक्षम स्तर) की बैठक दिनांक 15-03-2024 में अनुमोदन प्रदान किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **जनपद मथुरा एवं वृन्दावन के बीच प्रेक्षागृह/आडिटोरियमके निर्माण कार्य**हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा मूल्यांकित लागत **रू0 4215.60 लाख (जी0एस0टी0 सहित)** की **पुन: पुनरीक्षित** प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगतप्रायोजना हेतु पूर्व में निर्गत पर्यटन अनुभाग के शासनादेश दिनांक 24-02-2016, दिनांक 08-03-2017,दिनांक 31-03-2021,दिनांक 23-12-2022एवं दिनांक 28-03-2023 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य पर धनराशि का नियमानुसार व्यय टेण्डर लागत के आधार पर वास्तविक रूप से किया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर के तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही प्रायोजना के निर्माण हेतु अगली किश्त निर्गत की जायेगी।

(5) प्रश्नगत प्रायोजना हेतु व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024,दिनांक 04 मार्च, 2024 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतानके अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र जी0एस0टी0 इन्वायस एवं धनराशि के भुगतान का पूर्ण प्रमाणित विवरण सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय।

(8) प्रश्नगत प्रायोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा प्रायोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-प्रायोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(9) प्रायोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(11) प्रायोजना में पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि प्रायोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) कार्य की विशिष्टियॉ, मानक एवं गुणवत्ता आदि की पूर्ण जिम्मेदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय। इसके लिए प्रायोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रायोजना का पर्टचार्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

(13) सोलर लाइट/सौर ऊर्जा से सम्बन्धित लाइटों/उपकरणों का क्रय उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA)से नियमानुसार क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) प्रायोजना में विस्तृत आगणनर(डी0पी0आर0) में दरें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (भवन) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-272कैम्प/मु0अभि0(भवन)/2023, दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-294 कैम्प/मु0अभि0(भवन)/2023, दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 के अनुसार एवं कतिपय ऐसी कार्यमदें जो डी0एस0आर0 की दरों में उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(15) प्रायोजनान्तर्गतकतिपय उच्च विशिष्टियॉ जैसे प्लिन्थ हाईट तक स्टोन क्लेडिंग,स्टोन छतरी,बालकनी पर स्टोन ग्रिल,विण्डों आउटर पर ग्रेनाइट स्टोन,यू0पी0बी0सी0/विण्डों,डब्लू पी0सी0 डोर,फाल्स सीलिंग तथा एकेरलिक पेटन के स्थान पर टेक्सचर पेन्ट आदि निर्माण के साथ प्रयुक्त की जा रही है जो लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च हैं। अत: इनके प्रयोग से पूर्व नियमानुसार उच्च स्तरीय प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

(16) प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्यों में अगस्त-2022 के उपरान्त क्रियान्वित होने वाले कार्यों की लागत पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 तथा अगस्त, 2022 से जुलाई, 2017 के मध्य क्रियान्वित कार्यों की लागत पर 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 तथा इससे पूर्व क्रियान्वित कार्य की लागत पर निर्णयानुसार सर्विस टैक्स अनुमन्य कर लागत का आंकलन किया गया है। प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो तथा जी0एस0टी0 का भुगतान वास्तविकता के आधार पर किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं/विभागों/प्राधिकरणों आदि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का अन्तिम रूप से अनुमोदित ड्राइंग/डिजाइन के आधार पर विस्तृत आगणन का गठन कर लिया गया है तथा इस विस्तृत आगणन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।

(19) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विद्युत सम्बन्धी कार्यमदों यथा-स्टेज लाइटिंग,मल्टीमीडिया प्रोजेक्टरसिस्टम,सी0सी0टी0वी सिक्योरिटी सिस्टम,साउण्ड सिस्टम आदि की लागत कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। इन कार्यमदों की आवश्यकता एवं औचित्य के परीक्षणोंपरान्त जो लागत न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत व्यय तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) प्रायोजना में सम्मिलित कार्यों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैस-नये कार्य को सम्मिलित करना,कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय समिति का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(21) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व पर्यटन निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अन्तर्गत न तो स्वीकृत हो और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित हो।

http://shasanadesh.up.gov.in

(22) प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत् मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(23) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य बाट आउट की कार्य की लागत बजटरीय ऑफर/कोटेशन के आधार प्रस्तावित की गयी है। इसके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त की जायेंगी। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल ऑफ रेट्स उपलब्ध नही होते हैं तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वभाविक है। अत: पर्यटन निदेशालय द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(24) सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार),निर्माणलागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन केसम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेशसंख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75,दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेशसंख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023- 17(4)/75,दिनांक 19 मई, 2023 में निहितदिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(25) प्रायोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्रायोजनाकीक्लोजर रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी। प्रायोजना की क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में उक्त कृत्य को अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित प्रायोजना प्रबन्धक/अपर प्रायोजना प्रबन्धक एवं ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0)दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/उपनिदेशक, पर्यटन द्वारा की जायेगी।

5- यह आदेश अशासकीय संख्या-ई-7-188/दस-2024-25, दिनांक 13.12.2024में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी,मथुरा।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी,मथुरा।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. निदेशक,उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA), लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता,मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।
9. उप निदेशक,पर्यटन,मुख्यालय,उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-4,5,6, 7 व 8 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।